(22)

II/निग0/रीवा/2018/0569

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0,   Rs 30/-

2रु. कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES | Rs.2 FEE INDIA TWO RUPEES | Rs.2 FEE INDIA RUPEES | Rs.2 FEE INDIA TWO RUPEES | Rs.2 FEE INDIA TWO RUPEES | 20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

प्रस्तुत श्री सन्तोष कुमार मिश्रा द्वारा पेश। 22-1-18

1- दुर्गेश कुमार तिवारी पिता स्व0 नागेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र - 49 साल, पेशा-नौकरी निवासी - ग्राम -झिरिया पो0 सथनी तह0 सिरमौर, जिला रीवाम0प्र0,

2- दुब्बलाल तिवारी तनय स्व0 श्री तीरथ राम तिवारी उम्र - 72 साल, पेशा-पेंसनर, एवंकृषि निवासी झिरिया पो0 सथनी तह0 सिरमौर, जिला

3- विजय कुमार तिवारी पिता तीरथप्रसाद तिवारी रीवा म0प्र0

4- रेखमणि तिवारी पिता तीरथप्रसाद तिवारी निवासी झिरिया तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 --आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम

=====

1-आनंद कुमार तिवारी तनय स्व0 श्री नागेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र 47 पेशा-खेती निवासी - ग्राम झिरिया तह0 सिरमौर, जिलारीवाम0प्र0,

2- श्रीमती लक्ष्मी तिवारी पति आनंद कुमार तिवारी उम्र -45 साल, पेशा-गृहणी निवासी - झिरियापो0 सथनी तह0 सिरमौर, जिलारीवा म0प्र0,   ------ अनावेदक /गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बैंकुंठपुर तह0 सिरमौर जिलारीवाम0प्र0 के रा.प्र.क्र.-06 ए5 /2016-2017, निर्णय दिनांक - 27-11-2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959ई0

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य :-

1- यह कि निगरानी कर्ताक्र.-1 एवं गैर निगराकार क्र. 1 दोनों सगे भाई हैं। दोनों के मध्य पूर्व में रजिस्टर्ड बटवारा पत्र के माध्यम से -

क्र:

(22)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/569

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
01-08-18	निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 6 अ–5/16–17 में पारित आदेश दिनांक 27–11–2017 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर ने आदेश दिनांक 27–11–17 से मौजा झिरिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 239/2/क/2 एंव 240/2/क/2, 239/2/क/1, 240/2/क/1 का नक्शा तरमीम किया है जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की है। 3/ नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी को दी गई शक्तियों के अधीन की जाती है एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत पारित आदेश राजस्व मण्डल में निगरानी योग्य न होकर प्रथम अपील उप खण्ड अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) को होगी। म.प्र.राज्य बनाम जयरामपुर को–आपरेटिव्ह सोसायटी 1979 रा.नि. 465 तथा केशरवाई विरूद्व बल्दुआ 1993 रा.नि. 222 में बताया गया है कि मामला प्रथमतः उच्चतर प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत न करते हुये सवसे निचले न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिये।	

आवेदक के अभिभाषक यह समाधान नहीं करा सके है कि ऐसी कौनसी विषम परिस्थितियां हैं अथवा विशिष्ट कारण हैं जिनके आधार पर निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनी जावे। आवेदकगण इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं। विचाराधीन निगरानी सीधे राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न होने से गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य